रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2013/वैशाख 23, 1935
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2013/VAISAKHA 23, 1935

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2013

सा.का.नि. 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, कोई यात्रा दस्तावेज न रखने वाले सउदी अरब में निवास करने वाले भारतीयों को पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 8 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के प्रचालन से छूट प्रदान करती है, जहां तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन, ऐसे उपबंध भारत में एक बार यात्रा करने के लिए आपात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस के संदाय से संबंधित है, अर्थात्:—

(क) आपात प्रमाणपत्र फीस का अधित्यजन केवल उन आपात प्रमाणपत्र आवेदनों पर लागू होगा जिन्हें सउदी अरब सरकार द्वारा घोषित कृपा अवधि के चालू रहने के दौरान किया गया हो;

(ख) इस आपात प्रमाणपत्र फीस के अधित्यजन का लाभ उठाने के इच्छुक सभी आवेदक, इस स्कीम का लाभ लेने की इच्छा उपदर्शित करते हुए एक अतिरिक्त आवेदन करेंगे;

(ग) इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस स्कीम के प्रचालन के दौरान आपात प्रमाणपत्र जारी करते समय, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट नियम और पासपोर्ट निर्देशिका के सभी सुसंगत उपबंध लागू होंगे।

[फाइल सं. V.I/402/4/16/2012]

मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2013

G.S.R. 303(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts Indians living in Saudi Arabia having no travel documents from the operation of the provisions of Section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980, in so far as such provisions relate to the payment of fees for issue of Emergency Certificate for one time travel to India subject to the following conditions, namely :—

(a) waiver of Emergency Certificate fees shall be applicable only for those Emergency Certificate applications made during currency of grace period announced by Saudi Arabian Government;

(b) all applicants desirous to avail this waiver of Emergency Certificate fee shall have to submit an additional application indicating their wish to avail this scheme;

(c) save as otherwise provided in this notification, while issuing Emergency Certificate during the operation of the scheme, all the relevant provisions of Passport Act, Passport Rules and Passport Manual shall apply.

[File No. V.I/402/4/16/2012]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. and Chief Passport Officer

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.